आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अगस्त 2019

1. आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एकीकरण करते हुए नवीन योजना ''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना'' का प्रदेश में दिनांक 01.09.2019 से शुभारम्भ किया गया है।

2. प्रदेश में आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कितने समय के लिए संचालित है?

वर्तमान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार दिनांक 01.09.2019 से 12.12.2019 तक प्रदेश में यह योजना संचालित है।

3. क्या अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी गयी है?

नहीं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को पूर्ववत इलाज मिलता रहेगा। आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों को भी वर्तमान योजना में जोड़ कर योजना का दायरा बढाया गया है।

4. इस योजना में पात्र परिवार कौन होंगे?

- आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार के सदस्य।
- राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अर्न्तगत आने वाले परिवार के सदस्य।

5. इस योजना का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है?

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह ही इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) के माध्यम से सभी पंजीकृत अस्पतालों में दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी परिवार की पहचान के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है–

- **राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अर्न्तगत आने वाले परिवारों के लिए–**भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड)/भामाशाह Acknowledgement Slip, परन्तु राशन कार्ड संख्या, भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) एवं मरीज का आधार कार्ड का जुड़ा होना आवश्यक है।
- **आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के पात्र लाभार्थी परिवारों के लिए–**
    - भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड)/भामाशाह Acknowledgement Slip
    - माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लिखित आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र आवश्यक है। परन्तु आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एच.एच.आई.डी., आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर जुडवाना आवश्यक है।
    - आधार कार्ड

6. मेरे पास आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र उपलब्ध है, परन्तु भामाशाह कार्ड बना हुआ नहीं है। क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है?

जिन परिवारों के भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) बने हुए नहीं है, उन्हें नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) बनवाना चाहिए। जिसमें आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एच.एच.आई.डी., आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से जुडवाना चाहिए।

7. मैं इस योजना के लिए आर्थिक, सामाजिक एंव जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर अपनी पात्रता कैसे जांच सकता हुं?

- टोल फ्री नम्बर 14555 / 1800111565 / 18001806127 द्वारा;
- माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा डाक से भेजा गया आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की परिवार पहचान संख्या द्वारा।
- https://www.pmjay.gov.in/ पर लॉग इन करके;

8. क्या राजस्थान के बाहर के निवासी भी इस योजना का लाभ लें सकते है?

नहीं। वर्तमान में इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी हीं ले सकेंगे।

9. क्या मैं राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में इस योजना का लाभ लें सकता हूं?

नहीं। वर्तमान में दिनांक 12.12.2019 तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

10. योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज अस्पताल लेकर जाने होंगे?

योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी परिवार की पहचान के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है–

- भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) / भामाशाह Acknowledgement Slip
- मरीज का आधार कार्ड
- माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लिखित आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र द्वारा। परन्तु आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एच.एच.आई.डी., आधार कार्ड एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से जुडवाना आवश्यक है।

11. इस योजना में कितनी बीमारियों के लिए बीमा लाभ दिया जायेगा?

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत चयनित 21 चिकित्सा विशेषज्ञता से सम्बन्धित कुल 1401 डिजीज पैकेज का लाभ दिया जायेगा।

12. इस योजना के अर्न्तगत बीमा कवरेज राशि क्या है?

सामान्य बीमारियों हेतु रू. तीस हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. तीन लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।

13. आयुष्मान भारत योजना का लाभ कौन से अस्पतालों में लिया जा सकता है?
वर्तमान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में योजना का लाभ लिया जा सकता है।

14. क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?
नहीं, इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है।

15. मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा डाक से भेजा गया आयुष्मान भारत योजना का पात्रता पत्र है। क्या इसके द्वारा मुझे योजना का लाभ मिल सकता है?
जी हां। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के पात्रता पत्र पर अंकित 23 अंको की एच.एच. आई.डी., परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड़ एवं राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) से जुडवाना आवश्यक है।

16. मेरा परिवार आर्थिक, सामाजिक एंव जाति आधारित जनगणना (SECC) एवं राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) दोनो के अर्न्तगत पात्र परिवार है, तो क्या मुझे रु 6.60 लाख का कवर मिलेगा?
नहीं। परिवार को सामान्य बिमारियों हेतु रू. तीस हजार तथा गंभीर बिमारियों हेतु रू. तीन लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष हीं दिया जायेगा।